**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 3455**

**सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940 (शक)**

**देश में राजमार्गों पर गड्ढे**

**3455. श्री देरेक ओब्राईनः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास देश में राजमार्गों में गड्ढों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गड्ढों के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा सर्वेक्षण करने का विचार रखती है; और

(घ) गड्ढों को भरने तथा सुरक्षित सड़कें और राजमार्ग बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

(क) से (घ): गड्ढों को सड़क की स्‍थिति के आधार पर नियमित रूप से मरम्‍मत की जाती है और मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के गड्ढों के आकडों को नहीं रखा जाता है । कैलेंडर वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान राज्‍यों/ संघ राज्‍यों क्षेत्रों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा प्रस्‍तुत आकडों से संकलित किए गए गड्ढों के कारण देश में दुर्घटनाओं की संख्‍या क्रमश: 11106, 10876 और 6424 है। राष्‍ट्रीय राजमार्गों को आइआरसी कोडो और मंत्रालय के विनिर्देशनों के अनुसार विकसित और अनुरक्षित किया जाता है ताकि सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्‍चित की जा सकें। परियोजना के विभिन्‍न चरणों पर सड़क सुरक्षा लेखपरीक्षा इंजीनियरिंग,प्रापण निर्माण (ईपीसी) और निर्माण प्रचालन और हस्‍तांतरण (बीओटी) मोड पर राजमार्ग विकास परियोजना के भाग के रूप में भी संचालित की जाती है। मंत्रालय द्वारा सभी सड़क सुधार परियोजनाओं में सड़क सुरक्षा विशेषताएं शामिल करने हेतु दिशानिर्देश भी जारी किए गए है।

\*\*\*\*\*